भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1920

31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बोडोलैंड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

†1920. श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी कारण से कार्यान्वयन में देरी का सामना करना पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और देश के सभी शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करना था। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर, 2021 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए इस उद्देश्य से की गई है कि 100% स्रोत पृथक्करण, कचरे के डोर-टू-डोर कलेक्शन और अपशिष्ट के अलग-अलग अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाया जाए।

एसबीएम-यू के अंतर्गत धनराशि पूरी मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती है, वार्षिक आधार पर नहीं। असम राज्य को एसबीएम-यू (2014-2021) और एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026) के अंतर्गत क्रमशः ₹244.30 करोड़ और ₹503.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। एसबीएम-यू के पहले चरण में, असम राज्य को ₹207.49 करोड़ जारी किए गए थे और एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, राज्य ने अब तक ₹84.41 करोड़ का दावा किया है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल एवं स्वच्छता सेवाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शक्तियाँ सौंप दी गई हैं। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिज़ाइन करना, कार्यान्वयन करना और उनका संचालन करना राज्य/यूएलबी की ज़िम्मेदारी है।

राज्यों/यूएलबी को सहयोग प्रदान करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नियमावली/प्रक्रिया मानक (एसओपी) साझा करके नीतिगत निदेश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्श एवं दिशानिर्देश जारी करता है।

*****